कार्यालय, मुख्य वास्तुविद सह मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, आर.डी.डी. भोपाल

क्रमांक 09/विविध/भवन/सर्कुलर/84/2041 भोपाल दिनांक 20/9/2011

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषयः–कार्यकारी एवं विस्तृत मानचित्र तथा संरचना रूपांकन के कार्य ठेकेदार के माध्यम से किये जाने बाबत।

संदर्भः–म.प्र.शासन लो0नि0वि0 भोपाल के पत्र पृ.क्र.4387/3849/19/यो/2011/ भोपाल दिनांक 19.8.2011

कृपया शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। छाया प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। निर्देशानुसार भवन निर्माण की निविदाओं में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्रः–उपरोक्तानुसार

(हस्ताक्षर) 19.9.11

मुख्य वास्तुविद सह मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, आर.डी.डी. भोपाल
कार्या.दूरभाष–0755–2555297

पृ.क्रं. 09/विविध/भवन/सर्कुलर/84 भोपाल दिनांक /9/2011

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख अभियंता,लो0नि0वि0 भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित
2. समस्त अधीक्षण यंत्री, लो0नि0वि0 म0प्र0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,लो0नि0वि0 म0प्र0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्रः–उपरोक्तानुसार

–हस्ता–

मुख्य वास्तुविद सह मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, आर.डी.डी. भोपाल
कार्या.दूरभाष–0755–2555297

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
:मंत्रालय: वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

क्रमांक 5386/3849/19/यो/2011 भोपाल दिनांक 19/08/2011

कार्य विभाग नियमावली के परिशिष्ट 2.10 की कंडिका 8 विशेष शर्त के प्रावधानानुसार भवन निर्माण की निविदाओ में मुख्य वास्तुविद एवं रचना अधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रथम स्तरीय मानचित्र (Concept Plan) के आधार पर भवनों के कार्यकारी मानचित्र (Working Drawings), विस्तृत मानचित्र (Detailed Drawings) एवं संरचना रुपांकन (Structural Designs) का कार्य ठेकेदार द्वारा पंजीकृत वास्तुविद् (Registered Under the Architects Act 1972) एवं लायसेंस धारी संरचना रूपांकन कंसल्टेन्ट (Licenced Structural Consultant) से किये जाने की विशेष शर्त संलग्नानुसार जोड़ने की सैधांतिक स्वीकृति जारी की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में पी.आई.यू. द्वारा इप्को (EPCO) से एम.ओ.यू. के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यो के अतिरिक्त अन्य कार्यो में आवश्यकतानुसार इस विशेष शर्त का उपयोग किया जाये जहां भवनों के निर्माण कार्य कार्यकारी मानचित्र (Working Drawings), विस्तृत मानचित्र (Detailed Drawings) एवं संरचना रुपांकन (Structural Designs) के कारण प्रभावित होने की संभावना हो।

इस विशेष शर्त का उपयोग करते समय निविदा प्रपत्रों के साथ ही अनुमोदित प्रथम स्तरीय मानचित्र (Concept Plan), ट्रायल पिट सेक्शन (T.P. Sections) एवं स्थल की भार वहन क्षमता (S.B.C.) आदि की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाये। शासन के परिपत्र क्रमांक 918/आर-645/2008/दी/19 दिनांक 21.5.2008 द्वारा जारी संरचना रुपांकन (Structural Designs) कार्य ठेकेदार से किये जाने की विशेष शर्त एतद् द्वारा निरस्त की जाती है लेकिन इस परिपत्र से ठेकेदार के स्ट्रक्चरल कन्सल्टेन्ट (Structural Consultant) द्वारा प्रस्तुत रुपए एक करोड़ लागत तक के भवन कार्यो की संरचना रूपांकन का अनुमोदन मंडल के अधीक्षण यंत्री एवं उससे अधिक लागत के भवनों के सरंचना रूपांकन का अनुमोदन मुख्य अभियंता (आर.डी.डी.) द्वारा किये जाने के पूर्व में जारी अधिकार यथावत रहेंगे।

सहपत्र:-एक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
19-8-11
(विजय सिंह वर्मा)
सचिव,
म.प्र.शासन, लो.नि.वि.

पृ. क्रमांक 4387/3849/19/यो/2011 भोपाल दिनांक 19/08/2011

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
2. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश । RPD.
3. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश ।
4. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश ।
5. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
6. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ (केवल कमांक–5 एवं 6 के लिए) तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहपत्र:–एक

19-8-11

सचिव
म.प्र.शासन लो.नि.वि.

EE/SE
29/8/11

RR NO 1497 dt 29/8/2011

ADDITIONAL SPECIAL CONDITIONS - BUILDING WORKS

(AS PER WORKS DEPARTMENT MANUAL APPENDIX 2.10 CLAUSE 8 SPECIAL CONDITTIONS)

FOR CONTRACTS RELATED TO CONSTRUCTION OF BUILDINGS IN M.P. PWD:-

A Architectural Working Drawings for Building:-

1. Working drawings and detailed drawings for execution including detailed estimate shall be submitted by the contractor, in accordance with the concept plans approved by the Chief Architect MPPWD and the competent authority of concerning administrative department. This shall be scrutinized by the Chief Architect MPPWD and after his approval; the work shall be executed by the contractor.

2. Working drawings, detailed drawings and detailed estimate shall be prepared & signed by the Architect, registered under the Architects Act.1972.

3. The contractor shall submit all working drawings and detailed drawings such as building layout plan, site development plan, all floor plans, roof/terrace plan, all elevations, minimum four sectional elevations, layout plan for electrical, mechanical, communication, electronics, rainwater harvesting, fire fighting, sanitary, plumbing, drainage, water supply, sewerage, furniture, landscaping, parking etc. and all detailed drawings for doors, windows, ventilators, staircases, lifts, kitchen, toilets, flooring, ceiling, dado, special elevational features, three dimensional view of building, interior designing work, acoustical treatment, arboriculture, graphic signage etc. in the suitable scale in original, with three sets of prints to the Executive Engineer for necessary scrutiny and approval. On approval of the working drawings and detailed drawings, the contractor will submit all approved working drawings, detailed drawings and estimate in six sets of prints along with original print. Approved drawings will be issued by the Executive Engineer for execution duly marked as **"Drawing for Execution"**.

4. The working drawings and detailed drawings shall be submitted by the contractor within 15 days from the date of work order in case of buildings having plinth area less than or equal to 500 sqm and within 30 days from the date of work order in case of buildings having plinth area more than 500 sqm. After approval of the working drawings and detailed drawings, detailed estimate shall be submitted by the contractor within 7 days.

B Structural Design and Drawings for Building:-

1. Detailed structural design for execution shall be submitted by the contractor, in accordance with the "Working Drawings" and instructions of the Executive Engineer, which shall be scrutinized by the competent authority and after according approval, the work shall be executed by the contractor.

2. Structural design shall be prepared by licensed structural consultant (Appendix-A of part II, National Building Code) based on the relevant code(s) of practice.

3. The contractor shall submit the entire design calculations and structural drawings in three sets to the Executive Engineer for the scrutiny and approval. On approval of the structural design and drawings, the contractor will have to submit structural drawings in six sets along with original print which will be issued by the Executive Engineer for execution duly marked as "Drawing for Execution".

19-8-11

(Vijay Singh Verma)
Secretary
Govt. of M.P. P.W.D.